न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 39/2018
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00097

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण:—

राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट।

1. पुखाराम पुत्र मौजाराम जाति भाट निवासी दानासनी के कायम मुकाम
   1/1. रूकमो पत्नी पुखाराम
   1/2. महेन्द्र पुत्र पुखाराम
   1/3. नारायण पुत्र पुखाराम
   जातिगण भाट निवासीगण दानासनी तहसील रोहट जिला पाली।
2. कैलाश पत्नी नारायणराम जाति पटेल निवासी मुकनपुरा तहसील रोहट जिला पाली।
3. गोगीदेवी पत्नी पीराराम जाति पटेल निवासी सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: आदेश ::—

दिनांक:— 28/7/21

तहसीलदार रोहट द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम दानासनी पटवार मण्डल बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 52/7 रकबा 15.00 बीघा किस्म गै.मु. वाली वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072—75 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम खातेदारी भूमी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमी पूर्व में मिसल बन्दोबस्त संवत 2017 के अनुसार भूमी की किस्म गै.मु. वाली दर्ज थी। उक्त कृषि भूमी का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 09.05.1976 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया। आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 21.06.1976 भरा गया जिसके अनुसार भूमी की किस्म गै.मु. वाली से बारानी दोयम परिवर्तिन हुई। उक्त भूमी अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के द्वारा 25.03.2006 को बैचाण करने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 149 दिनाक 20.4.2006 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुई। जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त कृषि भूमी की किस्म बन्दोबस्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड में गै.मु. वाली से अन्य किस्म बारानी दोयम दर्ज हुई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आंवटित भूमी की किस्म गै.मु. वाली होने से यह भूमी प्रतिबन्धित भूमी की श्रेणी में आती है। अतः उक्त आवंटन धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत आवंटन किया गया जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता उपस्थित रहने तथा अन्य सभी अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई एवं पत्रावली व उसके साथ संलग्न राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम दानासनी पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 52/7 कुल रकबा 15 बीघा जिसकी किस्म गैर मुमकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2022.01.30 09:21:15 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश 2

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

वाली राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी व आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 09.05.1976 के द्वारा यह भुमि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में आवंटन कि गई। तथा आवंटन आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 21.06.1976 के जरिये भूमी की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. वाली से बारानी दोयम दर्ज कर आवंटन की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 द्वारा उक्त भूमी का बेचाण कर दिये जाने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 149 दिनांक 20.4.2006 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन भूमी की किस्म गै.मु. वाली से बारानी दोयम परिवर्तन कर किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से उसका आवंटन नहीं किया जा सकता है फिर भी आवंटन कमेटी द्वारा उक्त भूमी का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 09.5.1976 की पालना में किया गया भूमि आवंटन/नियमन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 09.05.1976 व उसकी पालना में भरे गये ग्राम दानासनी पटवार मण्डल बाण्डाई तहसील रोहट के नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 21.06.1976 व उसके पश्चातवृती नामान्तरकरण 149 दिनांक 20.4.2006 को निरस्त कराने हेतु व जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पूनः गैर मुमकिन वाली दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:21:15 IST
Reason: SelfAttested